भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म०प्र०)

===

प्र०क्र० निग -2601-I/16 सन् 2016 वमुकदमे

1- दयालु अहिरवार तनय दनी अहिरवार आयु 39 साल

2- प्रकाश तनय हरप्रसाद नाई उम्र 45 साल

✓3- स्वामीप्रसाद अहिरवार तनय मोहनलाल अहिरवार आयु 58 साल - निवासीयान झिगौरा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)--- निगरानीकर्ता

बनाम

म०प्र० शासन

2- मुन्नीलाल यादव तनय शीतलप्रसाद यादव निवासी झिगौरा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)--- अनावेदक

धारा 50 म०प्र० भू-रा०सं० 1959

=====================

श्री स्वामी प्रसाद अहिरवार द्वारा आज दि. 3.8.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

03/8/16

महोदय जी,

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय विद्वान तहसीलदार निवाड़ी के प्र०क्र० 2/अ19 /2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2003 के विरूद्ध ।

पुनरीक्षणकर्तागण निम्न प्रकार विनय प्रस्तुत करते है

(1)- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय निवाड़ी द्वारा प्र०क्र० 2/अ19/2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2003 को जो आदेश पारित किया है वह नियम कानून व वाकयात के प्रतिकूल है । तथा प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है ।

निगरानी के तथ्य

===============

(2)- यह कि भूमि ख०नं० 44/2 रकबा 1-000 हे० स्थित ग्राम- धरमपुरा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) में स्थित है । जो कि दिनांक 30-09-2003 को न्यायालय तहसीलदार निवाड़ी द्वारा इसी भूमि में अनावेदक को रकबा 1-000 पर दखल रहित अधिनियम विशेष उपबंध 1984 के तहत भूमि स्वामी घोषित किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के अनुरूप

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2601-एक/2016 जिला टीकमगढ़ दयालु विरूद्ध शासन व मुन्नीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 2/अ19/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2003 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

3

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01/2/19
सदस्य